संख्या-89/2025/3342/22-2-2023-17(1215)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-08-2023) दिनांक-24-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू पुत्र श्री महावीर, निवासी अरनावली, थाना-जानी, जनपद-मेरठ का निवासी है। लूट के उद्देश्य से बन्दी ने दिनांक 05.06.2006 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर हेमन्त अग्रवाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा पैसे तथा जेवर लूट लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-526/2007, धारा-394, 302/34, 411 आई.पी.सी. के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 22.01.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर प्रतीत नहीं होने, बन्दी की आयु 39 वर्ष व स्वस्थ होने, विवाद जैसी किसी प्रकार की स्थिति नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि लूट के उद्देश्य से बन्दी ने दिनांक 05.06.2006 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर हेमन्त अग्रवाल नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं पैसे व जेवर लूटने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पिन्टू पुत्र श्री महावीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू (बन्दी संख्या-49445) पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-मेरठ को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-89/2025/3342(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/ अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-89/2025/3342/22-2-2023-17(1215)/2023

दिनांक: 27 जनवरी 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू पुत्र श्री महावीर, निवासी अरनावली, थाना-जानी, जनपद-मेरठ का निवासी है। लूट के उद्देश्य से बन्दी ने दिनांक 05.06.2006 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर हेमन्त अग्रवाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा पैसे तथा जेवर लूट लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-526/2007, धारा-394, 302/34, 411 आई.पी.सी. के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 22.01.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर प्रतीत नहीं होने, बन्दी की आयु 39 वर्ष व स्वस्थ होने, विवाद जैसी किसी प्रकार की स्थिति नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

सिद्धदोष बंदी पिन्टू पुत्र श्री महावीर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि लूट के उद्देश्य से बन्दी ने दिनांक 05.06.2006 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर हेमन्त अग्रवाल नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं पैसे व जेवर लूटने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पिन्टू पुत्र श्री महावीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in